निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0 प्र0 राज्य सडंक परिवहन निगम, इटावा क्षेत्र के अन्तर्गत स्टाफकारों के रूप में दर्शित वाहनों के अनुवन्ध हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय उ0 प्र0 परिवहन निगम लखनऊ के पत्रांक 5990 प्र0नि0/स्टाफकार/ का0से0/12 दिनांक 03.02.2012 के अनुपालन में औरैया डिपो हेतु स्टाफकारं की आवश्यकता है। जिसकी निविदा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, औरैया में दिनांक 08.05.2017 से आमंत्रित की जाती है।

विवरण निम्नवत हैः– निविदा फार्म की बिक्री की अवधि दिनांक 08.05.2017 से (कार्यालय अवधि में अवकाश दिवसों को छोड़कर) दिनांक 11.05.2017 को अपरान्ह 17.00 बजे तक।

1. निविदा फार्म का मूल्य रू0 100/– जिसकी वापसी नहीं होगी।
2. निविदा बॉक्स में निविदा डालने की तिथि व समय दिनांक 12.05.2017 को अपरान्ह 14.00 बजे तक।
3. निविदा बॉक्स खोलने की तिथि व समय दिनांक 12.05.2017 समय 15.00 बजे।

क0स0	डिपो जहॉ वाहनों की आवश्यकता हैं	वाहन का प्रकार		वाहनों की संख्या	अधिकतम प्रतिमाह देय धनराशि प्रतिवाहन किराया रू0 में सभी करों सहित
		सूमो	बुलेरो		
1	औरैया डिपो	सूमो	बुलेरो	01	30000/–

निविदा की शर्ते :–

1. वाहन सम्पूर्ण भारत टैक्सी परमिट में पास होना चाहिए।
2. यह कि टाटासूमों/महिन्द्रा बुलेरो परिवहन निगम इटावा क्षेत्र के औरैया डिपो हेतु अनुवन्धित की जायेगी।
3. निविदादाता को टाटासूमों/महिन्द्रा बुलेरों अथवा इसके समकक्ष अच्छी दशा की वाहन तीन वर्ष के लिये अनुबन्ध करके सम्बद्ध की जायेगी। उल्लेख की गई श्रेणी से उच्च श्रेणी की वाहन प्राप्त होने पर उच्च श्रेणी के वाहन को वरीयता दी जायेगी। जिसमें मूल्य को आनुपातिक आधार बनाया जायेगा।
4. अनुबन्ध की जाने वाली वाहन की आयु अनुबन्ध अवधि में अधिकतम 05 वर्ष (कमीशन तिथि से) होनी चाहिये।
5. यह कि वाहन टैक्सी मासिक 2000 कि0मी0 प्रतिमाह संचालित होगी जिसको आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। कि0मी0 की गणना वाहन, अधिकारी को उपलब्ध कराने एवं छोड़ने तक के आधार पर गणना होगी।
6. यह कि निविदाकर्ता को ईधन, चालक, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोडटैक्स, फिटनेस, परमिट, सर्विस टैक्स व अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा ही वहन करना होगा।
7. वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर अथवा कोई बीमा सम्बन्धी वाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
8. निविदाकर्ता अथवा चालक को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
9. निविदाकर्ता द्वारा वाहन के अनुवन्ध उपरान्त सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक/स्पेयर चालक का पूर्ण विवरण आवासीय पता, फोन नं0/मोबाईल नं0 तथा चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित फोटोप्रति, चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस अधीक्षक का), निवास का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।
10. सम्बन्धित अधिकारी के साथ निविदाकर्ता के द्वारा लगाये गये वाहन के मेंटीनेंस/खराब होने की सूचना पर निविदाकर्ता द्वारा दूसरा वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
11. यह कि मासिक किराये के आधार पर प्रयुक्त वाहन की लॉगबुक में यात्रा का विवरण अंकित किया जाना होगा तथा आवन्टित अधिकारी द्वारा किमी0 की लॉगबुक सत्यापित की जायेगी। लॉग बुक पर चालक द्वारा भी संचालित किमी0 पर हस्ताक्षर किये जायेगे।
12. मासिक बिल की धनराशि में नियमानुसार आयकर एवं सेवाकर तथा अन्य कर काट कर भुगतान किया जायेगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

13. वाहन स्वामी द्वारा मासिक बिल सम्बन्धित अधिकारी को प्राप्त कराया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बिल सत्यापित कर क्षेत्रीय प्रबन्धकों को भेजा जायेगा, जिनके द्वारा समस्त कटौती एवं उस समय देय करों की कटौती का भुगतान किया जायेगा।
14. चालक के ड्यूटी के दौरान अथवा बाद में भी अमर्यादित आचरण एवं गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसे तत्काल ड्यूटी से हटाकर दूसरा चालक देना होगा।
15. वाहन चालक सहित उपयोग हेतु 24 घण्टे उपलब्ध करानी होगी।
16. अनुवन्ध की अवधि में वाहन का किसी अन्य व्यवसाय/आपराधिक गतिविधियों में पाये जाने पर तत्काल अनुवन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
17. चालक की ड्यूटी के दौरान अथवा बाद में भी अमर्यादित आचरण एवं गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसे तत्काल ड्यूटी से हटाकर दूसरा चालक देना होगा।
18. उपरोक्त विवरण के अनुसार अपने वाहन की मासिक दर निविदादाता को देना होगा। साथ ही यदि कोई अतिरिक्त सुविधा दे सकता है तो उसका उल्लेख निविदा पत्र में अंकित करना होगा।
19. यह कि निविदा पत्र के साथ निविदादाता को रू0 10000.00 का अर्नेस्टमनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट जो सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 परिवहन निगम, औरैया के नाम से बनवाकर संलग्न करना होगा।
20. यह कि निविदादाता को निविदा फार्म के साथ पेनकार्ड की छायाप्रति एवं स्वयं हस्ताक्षरित कर संलग्न करनी होगी व दूरभाश व मोबाईल नं0 अकिंत करना होगा।
21. यह कि निविदादाता को पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र (पुलिस अधीक्षक का), निवास प्रमाण पत्र एवं अनुवन्ध निस्पादन हेतु रू0 100.00 का नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर वाहन अनुवन्ध होने के उपरान्त देना होगा।
22. टेण्डर स्वीकृत होने पर स्वीकृत आदे ा में दी गई, समयावधि में वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर प्रतिभूति धनरा ि जब्त करते हुये, टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
औरैया

कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदे ा परिवहन निगम
औरैया

पत्रांकः– स0क्षे0प्र0/औ0/संचालन/अनुवन्ध–स्टाफकार/2017– 790 कैम्प दि0–05 मई 2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
1. प्रधान प्रवन्धक (प्रावि0)महोदय् उ0 प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. नोडल अधिकारी महोदय् उ0 प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय प्रवन्धक/सेवा प्रबन्धक महोदय उ0 प्र0 परिवहन निगम इटावा।
4. नोटिस बोर्ड औरैया डिपो।
5. नगर पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड औरैया।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
औरैया

Downloaded from www.upsrtc.com